न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,ठाकुरद्वारा

राज्य बनाम सोनू।

वाद सं0—24/2012

धारा—4/25 आर्म्स एक्ट।

थाना—भगतपुर।

21.10.2019

अभियुक्त सोनू की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं0—24/2012 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना—भगतपुर जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे तथा दिनांक 15.10.19 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.11 को स्वीकृत हो चुकी हैं। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सोनू द्वारा पच्चीस—पच्चीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट

ठाकुरद्वारा।